



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

152

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था० नि०/

दिनांक:-

सेवा में,

Sp. Sec.

O. S. D. (K)

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, बहादुरगंज

महाशय,

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वर्ष 2010-11 से 12-13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 617/13-14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,  
—हू—

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14483/2228

दिनांक- 20.2.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, किशनगंज

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, बहादुरगंज  
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-617/13-14  
(अवधि- 2010-11 से 2012-13)

**1. प्रस्तावना**

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.05.13 में 01.06.13 की अवधि में किया गया।

**2. प्रशासन**

| क्र०सं० | पदनाम                | नाम                   | कार्यकाल                |
|---------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01.     | अध्यक्ष              | श्रीमती शबनम फिरदौशी  | 01.04.10 से 10.06.12    |
|         |                      | श्री मुजतबा अनवर राही | 11.06.12 से वर्तमान तक  |
| 02.     | उपाध्यक्ष            | मो० तकसीर अहमद        | 01.04.10 से 10.06.12 तक |
|         |                      | श्रीमती मीरा बसाक     | 11.06.12 से वर्तमान तक  |
| 03.     | कार्यापालक पदाधिकारी | श्री राकेश रंजन       | 01.04.10 से 04.05.10 तक |
|         |                      | श्री कलीमुद्दिन अहमद  | 05.05.10 से 13.09.11    |
|         |                      | श्री विपुल कुमार      | 14.09.11 से वर्तमान तक  |

**3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र** - लेखापरीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जाँच किए गए दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट- 1 पर तथा लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट -2 पर दी गई है।

**4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम**

| कंडिका सं० | विवरण                                     | राशि    |
|------------|---|---------|
| 17         | शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर का अधिरोपण नहीं | -       |
| 18.        | बस पड़ाव में बन्दोबस्ती में हानि          | 119806  |
| 19         | स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना            | 666178  |
| 24         | आयकर की कटौती नहीं                        | 328000  |
| 28         | योजनाओं में अग्रिम का समायोजन नहीं        | 1297000 |

**5. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन**

नगर पंचायत, बहादुरगंज द्वारा पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुपालन प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदनो का अनुपालन नहीं होने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए, जिससे लंबित कंडिकाओं का निस्तारण किया जा सके।

## 6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 97 में नगरपालिका लेखा के आंतरिक अंकेक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। नगर पंचायत के लेखों / अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जाँच का प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण अनेक प्रकार की त्रुटियों व अनियमितताएँ दृष्टिगोचर हुई जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यदि उक्त जाँच की प्रक्रिया का पालन निश्चित अंतराल पर किया जाता तो इन त्रुटियों व अनियमितताओं को टाला जा सकता था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे अनियमितताओं को टाला जा सकता है।

## 7. बजट

नगर निकायों के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82,83,84,85 एवं धारा 105 की उपधारा (2) में बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु तथा उसे पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। साथ ही बजट तैयार करने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 862 दिनांक 21.02.08 द्वारा जारी निर्देश विस्तृत एवं उपयोगी है जिसका अनुपालन सभी नगर निकाय द्वारा किया जाना है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा उपर्युक्त दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 का बजट नहीं बनाया गया। वर्ष 2012-13 का बजट ससमय वर्ष 2012-13 के पूर्व ही बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेना था लेकिन बजट को दिनांक 13.09.12 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई थी लेकिन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं था एवं दिनांक 13.09.12 को इसे राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

## लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. वित्तीय वर्ष 2010-11 व 2011-12 का बजट नहीं बनाने के कारण वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किया गया व्यय क्रमशः ₹5560271.00, ₹4815215.00 रु अप्राधिकृत था।
3. वर्ष 2012-13 के बजट और वास्तविक आय- व्यय में काफी अंतर पाया गया, जिसका विवरण निम्न है-

| वर्ष    | मद   | अनुमानित | वास्तविक | अंतर     | अंतर का प्रतिशत |
|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2012-13 | आय   | 19764101 | 23929626 | 4165525  | 21.08           |
|         | व्यय | 1711592  | 13271265 | 11559673 | 675.37          |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यय के आकलन में काफी भिन्नता थी।

कार्यालय का जवाब:-आगे से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बजट बनाया जायेगा।

अतः बजट वास्तविक आय एवं व्यय के अनुरूप बनाया जाय।

## 8. आय-व्यय

रोकड़ बहियों व अग्रिम पंजियों के अनुसार आय-व्यय निम्न था।

### (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार आय-व्यय निम्न है-

|                   | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1. प्रारम्भिक शेष | 4478147 | 4680286 | 5161731 |
| 2. प्राप्तियाँ    |         |         |         |
| 1. अनुदान         | 2002139 | 3473774 | 2876576 |
| 2. ब्याज          | -       | -       | -       |
| 3. कुल प्रविष्टि  | 6480286 | 8154060 | 8038307 |
| 4. व्यय           |         |         |         |
| 1. योजना मद       | 1800000 | 2992329 | 3681869 |
| 2. अन्य           | -       | -       | -       |
| 5. अंतशेष (3-4)   | 4680286 | 5161731 | 4356438 |

### व्यवहृत बैंक खाता :

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरगंज

एकाउंट नं० - 2092447231

दिनांक - 26.02.13 को अवशेष - ₹2147285

2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरगंज

एकाउंट न० - 32677215238

दिनांक 31.12.12 को अवशेष - ₹2515363

### लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. पासबुक को अद्यतन कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. रोकड़ बही में बैंक सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
3. आय- व्यय का विस्तृत सार नहीं बनाया गया।

### आय-व्यय

### (ii)(क) एकादश व द्वादश वित्त अनुदान

रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार आय-व्यय निम्न है-

|                      | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 1. प्रारंभिक शेष     | 4066535 | 4066535 | 4066535 |
| 2. प्राप्ति (अनुदान) | —       | —       | —       |
| 3. कुल प्राप्ति      | 4066535 | 4066535 | 4066535 |
| 4. व्यय योजना मद     | —       | —       | 423276  |
| 5. अंतशेष            | 4066535 | 4066535 | 3643259 |
|                      |         |         |         |

### (ख) तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान

रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार आय-व्यय निम्न है—

|                     | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 1. प्रारंभिक शेष    | शून्य   | 1100000 | 3503074 |
| 2. प्राप्ति(अनुदान) | 1100000 | 2403074 | 2721000 |
| 3. कुल प्राप्ति     | 1100000 | 3503074 | 6224074 |
| 4. व्यय योजना मद    | —       | —       | 1653337 |
| 5. अंतशेष           | 1100000 | 3503074 | 4570737 |

### लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

- एकादश, द्वादश व तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान की रोकड़ बहियों को अलग-अलग संघारित नहीं किया गया था।
- द्वादश वित्त आयोग की योजनाओं में (वर्ष 06-07 व 07-08) ₹665000 का अग्रिम लेखापरीक्षा अवधि तक असमायोजित था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था।
- तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान के लिए अलग बैंक खाता खोला जाए।
- रोकड़ बही में सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
- एकादश वित्त आयोग की योजनाओं में ₹855000 की अग्रिम की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी।
- सूद का हानि —  
तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान के दिशा-निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुदान को बैंक में रखना था। परंतु इसे कोषागार खाता में रखा गया फलतः नगर पंचायत को अनुदान की राशि से होने वाली अर्जित ब्याज की हानि हुई।

(iii) विविध रोकड़ बही (स्वयं के स्रोत, कबीर अंत्येष्टि, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित)

|                                  | 2010-11    | 2011-12    | 2012-13        |
|----------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1. प्रारंभिक शेष                 | 1950712.27 | 1146433.27 | 1262751.27     |
| 2. प्राप्तियाँ                   |            |            |                |
| 1 स्वयं का स्रोत                 | 555953.00  | 791905     | 1090520+ 98410 |
| 2. अनुदान                        |            |            |                |
| क. कबीर अंत्येष्टि               | 162000.00  | 169500     | 1134000        |
| ख राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  | —          | 70000      | 230000         |
| ग.नगर प्रबंधक का मानदेय          | 140000.00  | —          | —              |
| 03. वर्ष की कुल प्राप्ति         | 857953.00  | 1031405.27 | 2552930.00     |
| 04. कुल प्राप्ति (1+2)           | 2808665.27 | 2177838.27 | 3815681.27     |
| 05. व्यय                         |            |            |                |
| 01 स्थापना व विविध               | 89201.00   | 43512.00   | 95702.00       |
| 02. ईंधन                         | 5942.00    | 2556.00    | 3395.00        |
| 03 दैनिक मजदूरों का भुगतान       | 261774.00  | 252708.00  | 234378.00      |
| 04. मानदेय (कार्यालय कर्मी)      | 44400.00   | 22200.00   | 22105.00       |
| 05. कबीर अंत्येष्टि              | 54000.00   | 214500.00  | 522000         |
| 06. योजना                        | 1206915.00 | 379611.00  | —              |
| 7. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | —          | —          | 280000         |
| कुल                              | 1662232.00 | 915087.00  | 1157579.00     |
| 6. अंतशेष (4-5)                  | 1146433.27 | 1262751.29 | 2658102.27     |

### लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. रोकड़ बही मे बैंक से प्राप्त ब्याज राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
2. रोकड़ बही के पृष्ठ सं0 7 पर दिनांक 14.09.12 को व्यय ₹190 से कम दिखाया गया था। अतः दिनांक 31.03.13 को रोकड़ बही का अंतशेष ₹2658192.27 न होकर ₹2658102.27 होगा।
3. आय- व्यय का मासिक त्रैमासिक व वार्षिक सार नहीं बनाया गया था।
4. लेखापरीक्षा अवधि तक ₹104180 एवं ₹220000 क्रमशः स्थापना व निर्वाचन मद में अग्रिम था। जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था।
5. पूर्ववर्ती योजनाओ में ₹3117500 का अग्रिम या जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी।

## (iv) स्ववित्त पोषित

|                                     | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 प्रारंभिक शेष                     | 158564  | 158564  | 171964  |
| 2. प्राप्ति (दुकान निर्माण की राशि) | —       | 13400   | —       |
| 3. कुल प्राप्ति (1+2)               | 158564  | 171964  | 171964  |
| 4 व्यय                              | —       | —       | —       |
| 5. अंतशेष                           | 158564  | 171964  | 171964  |

## (v) शिक्षा गारंटी केन्द्र (एफ0जी0एस0)

|                     | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 1. प्रारंभिक शेष    | 37104   | 37104   | 32904   |
| 2. वर्ष की प्राप्ति | —       | —       | —       |
| 3. कुल प्राप्ति     | 37104   | 37104   | 32904   |
| 4. व्यय             | —       | 4200    | —       |
| 5. अंतशेष           | 37104   | 32904   | 32904   |

## (vi) बालिका समृद्धि योजना

|               | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------------|---------|---------|---------|
| प्रारंभिक शेष | 25000   | 25000   | 25000   |
| प्राप्ति      | —       | —       | —       |
| व्यय          | —       | —       | —       |
| अंतशेष        | 25000   | 25000   | 25000   |

## (vii) गंदी बस्ती योजना

|               | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---------------|---------|---------|---------|
| प्रारंभिक शेष | 218421  | 218421  | 218421  |
| प्राप्ति      | —       | —       | —       |
| व्यय          | —       | —       | —       |
| अंतशेष        | 218421  | 218421  | 218421  |

## (viii) पार्षदों का भत्ता

|                 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| प्रारंभिक शेष   | 85000   | 159400  | 40000   |
| प्राप्ति अनुदान | 74400   | —       | —       |
| कुल प्राप्ति    | 159400  | 159400  | 40000   |
| व्यय (भत्ता)    | —       | 119400  | —       |
| अंतशेष          | 159400  | 40000   | 40000   |

## (ix) जनगणना

|                   | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13  |
|-------------------|---------|---------|----------|
| प्रारंभिक शेष     | 914     | 914     | 382804   |
| प्राप्ति(जनगणना ) | 192000  | 381890  | 8800     |
| कुल प्राप्ति      | 192914  | 382804  | 391604   |
| व्यय कार्य        | 192000  | —       | 361500   |
| अंतशेष            | 914     | 382804  | 30104.00 |

## (x) होल्डिंग कर

|                          | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 1 प्रारंभिक शेष          | 456752  | 370061  | 618733  |
| 2 प्राप्ति (होल्डिंग कर) | 304624  | 327172  | 475913  |
| 3 कुल प्राप्ति           | 761376  | 697233  | 1094646 |
| 4 व्यय                   |         |         |         |
| 1. तहसीलदार का भुगतान    | 37331   | 78500   | 197976  |
| 2 वेतन                   | 353984  | —       | —       |
| कुल                      | 391315  | 78500   | 197976  |
| 5. अंतशेष                | 370061  | 618733  | 896670  |

## (xi) वेतन

|                       | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1. प्रारंभिक शेष      | 1466889 | 2197080 | 1491381 |
| 2. प्राप्ति (अनुदान)  | 2142048 | —       | —       |
| 3 कुल प्राप्ति        | 3608937 | 2197080 | 1491381 |
| 4. व्यय (वेतन भुगतान) | 1514724 | 705699  | 691228  |
| 5. अंतशेष             | 2197080 | 1491381 | 800153  |



(xii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान

|                      | 2012-13 |
|----------------------|---------|
| 1. प्रारम्भिक शेष    | —       |
| 2. प्राप्ति (अनुदान) | 8447207 |
| 3. कुल प्राप्ति      | 8447207 |
| 5. व्यय              | —       |
| 6. अंतशेष            | 8447207 |

(xiii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी प्रविष्टियों के अनुसार आय-व्यय निम्न प्रकार है।

| प्रारम्भिक शेष         | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. U.W.E.P             | 73442   | 73442   | 73442   |
| 2. वेज घटक             | 1419    | 1419    | 1419    |
| 3. सब्सिडी             | 186     | 186     | 186     |
| 4. प्रशिक्षण           | —       | —       | —       |
| 5. प्रशासनिक व्यय      | 42087   | 42087   | 42087   |
| 6. सुदृढीकरण           | 44223   | 44223   | 44223   |
| 7 U.S.E.P              | 2592    | 2592    | 2592    |
| 8. इनफ्रास्ट्रक्चर     | —       | —       | —       |
| 9. सामुदायिक संरचना    | 62165   | 62165   | 62165   |
| 10. श्रीपट एवं क्रेडिट | —       | —       | —       |
| कुल                    | 226114  | 226114  | 226114  |
| 2. प्राप्ति            | —       | —       | 3000000 |
| 3. कुल प्राप्त (1+2)   | 226114  | 226114  | 3226114 |
| 4. व्यय                | —       | —       | 1200000 |
| 5. अंतशेष (3-4)        | 226114  | 226114  | 2026114 |

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि को एक अलग बैंक खाता में रखना था। परंतु कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

2. प्राप्त अनुदान राशि ₹3000000 पर बैंक में अर्जित ब्याज की गणना कर व राशि ₹1200000 की निकासी के पश्चात अवशेष राशि पर ब्याज गणना कर अनुदान राशि सहित कुल राशि को स्थानांतरित कर अलग बैंक खाता में रखा जाए व लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

9. रोकड़ बहियों व बैंक में अंतशेष राशि

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न मदों के लिए अलग-अलग रोकड़ बही संधारित किया गया था। जिनके लिए एक सामान्य रोकड़ बही संधारित किया गया था। जिनमें दिनांक 31.03.13 को ₹30504662.27 था लेकिन

विविध रोकड़ बही में दिनांक 14.09.12 को व्यय 90 से कम दिखाया गया था। अतः दिनांक 31.03.13 को सामान्य रोकड़ बही का अंतशेष ₹30504572.27 होगा।

पुनः वर्ष 2010-11 के पूर्व योजनाओं और स्थापना मद में निम्न अग्रिम था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ में नहीं थी।

| मद                  | राशि    |
|---------------------|---------|
| 11 <sup>th</sup> FC | 855000  |
| 12 <sup>th</sup> FC | 665000  |
| SJSRY               | 538500  |
| विविध               | 3117500 |
| NSDP                | 167500  |
| स्थापना             | 104180  |
| कुल                 | 5447680 |

एवं वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 की अवधि में निम्न अग्रिम था जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी।

| मद                    | राशि    | अभ्युक्ति              |
|-----------------------|---------|------------------------|
| निर्वाचन              | 220000  | विविध रोकड़ बही में    |
| जनगणना                | 361500  | जनगणना रोकड़ बही में   |
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन | 3323000 | रोकड़ बही संधारित नहीं |
|                       | 3904500 |                        |

परंतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्राप्त राशि व व्यय के लिए रोकड़ बही अद्यतन संधारित नहीं थी एवं व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई थी। कोषागार आवंटन एवं व्यय पंजी के अनुसार इस मद में ₹3847200 का आवंटन प्राप्त हुआ था एवं इस मद में ₹3323000 का असमायोजित अग्रिम था।

### लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

- दिनांक 31.03.13 को बैंक खाता (कोषागार सहित) एवं रोकड़ बहियों के अंतशेषों के अंतर ₹2317824.95 (₹27317418.22- ₹24999593.27) का समाधान विवरणी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।
- रोकड़ बही में सूद की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
- सामान्य रोकड़ बही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी।
- बिहार लेखा नियमावली 1925 के अनुसार रोकड़ बही को मासिक बंद करना था किन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पुनः अग्रिम की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं की गयी।

विवरणी परिशिष्ट -3 पर संलग्न

### 10. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा न तो अनुदान पंजी और न ही अनुदान विनियोग पंजी संधारित किया गया था। फलतः अनुदान प्राप्ति व व्यय की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज अनुदान राशि की प्रविष्टियों के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में कुल ₹30728408 (5812587+ 649823+ 18417583) अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-4 पर )

### लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1. प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
2. अनुदान पंजी का विधिवत संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

### 11. तेरहवीं वित्त आयोग

नगर पंचायत, बहादुरगंज को सरकार से तेरहवीं वित्त आयोग से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था-

| क्र०सं० | न०वि० एवं आ०वि०, बिहार, पटना का पत्रांक तथा तिथि | राशि                  |
|---------|--|-----------------------|
| 1.      | पत्रांक 95 दिनांक 17.08.10                       | 1100000.00            |
| 2.      | पत्रांक 186 दिनांक 30.03.11                      | 1100000.00            |
| 3.      | पत्रांक 187 दिनांक 30.03.11                      | 3074.00 (सूद की राशि) |
| 4.      | पत्रांक 21 दिनांक 04.08.11                       | 1200000.00            |
| 5.      | पत्रांक 24 दिनांक 23.08.11                       | 100000.00             |
| 6.      | पत्रांक 01 दिनांक 04.04.12                       | 863000.00             |
| 7.      | पत्रांक 20 दिनांक 19.07.12                       | 1409000.00            |
| 8.      | पत्रांक 36 दिनांक 31.08.12                       | 449000.00             |
|         | कुल -  | 6224074.00            |

सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पाईप जलापूर्ति, सड़को में प्रकाश व्यवस्था, पेयजल पर उपयोग किए बिजली के बिल तथा रैन बसेरा/ओल्ड एज होम के निर्माण तथा रख रखाव पर व्यय करना था।

ऊपरलिखित अनुसार कुल अनुदान का मदवार अनुदान निम्न है।

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 50% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | ₹3112037.00 |
| 50% अन्य मद             | ₹3112037.00 |

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में व्यय नहीं किया गया तथा वर्ष 2012-13 में कुल राशि ₹1687864.00 का व्यय केवल सड़क निर्माण पर किया गया था। जो सरकार के दिशा-निर्देश के विपरीत था।

### अंकेक्षण आपत्ति

1. सरकार द्वारा तेरहवीं वित्त आयोग के स्वीकृत पत्र की कंडिका (ख) पर नगर निकायों द्वारा व्यय के लिए जो शर्त दिया गया था, उसमें सड़क निर्माण पर व्यय निषिद्ध था।

लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में कुल 12 योजनाओं सड़क निर्माण पी0सी0सी0 तथा ब्रिक सोलिंग से संबंधित किया गया था एवं ₹1687864.00 का व्यय किया गया था। जो सरकार के दिशा-निर्देश के विपरीत था तथा व्यय की गई राशि ₹1687864.00 अनियमित था।

सरकार के दिशा-निर्देश के उल्लंघन को स्पष्ट करने तक व्यय की गई राशि ₹1684864.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

2. राशि व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

3. राशि व्ययगत हो जाना (₹ 13.32 लाख)

नगर पंचायत, बहुदरगंज को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 58 द्वारा दिनांक 13.03.12 को तेरहवीं वित्त आयोग से ₹13.32 लाख अनुदान का आवंटन आदेश प्राप्त हुआ था। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 23.03.12 को बिल सं0 07/2011-12 द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के लिए जिला पदाधिकारी किशनगंज को भेजा गया था एवं जिला पदाधिकारी द्वारा 30.03.12 को प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया था। तथा दिनांक 30.03.12 को कोषागार में जमा किया गया था। लेकिन दिनांक 31.03.2012(12:55 PM) पर राशि निकासी पर रोक लगा दी गई।

राशि प्राप्ति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध नहीं किया गया है।

राशि व्ययगत होने से नगर पंचायत को विकास कार्य से वंचित रखा गया। अतः राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय।

### 12(i) अनुदान का अवरोधन

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण अनुदान का प्रारंभिक अवशेष वर्ष में प्राप्त अनुदान व्यय तथा अंतशेष ज्ञात नहीं किया जा सका। सहायक रोकड़ बही के अनुसार निम्न अनुदान कार्यों के अव्यवहृत थी। विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | मद का नाम             | राशि      |
|---------|-----------------------|-----------|
| 01.     | बालिका समृद्धि योजना  | 25000.00  |
| 02.     | जनगणना                | 914.00    |
| 03      | E.Governance          | 37104.00  |
| 04.     | गंदी बस्ती योजना      | 218421.00 |
| 05.     | ट्रैक्टर क्रय की राशि | 33649.00  |
| 06      | नगर प्रबंधक का मानदेय | 140000.00 |
|         | कुल                   | 455088.00 |

क्र०सं० 1 से 4 तक की राशि वर्ष 2010-11 से अभी तक व्यय नहीं किया गया था। तथा यह योजना बंद हो चुकी है। अतः इस राशि को सरकार को वापस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

पुनः न०वि० एवं आ०वि०, बिहार, पटना के पत्रांक- 6243 दिनांक 03.11.10 द्वारा ₹140000.00 नगर प्रबंधक के मानदेय के लिए प्राप्त हुआ था। नगर पंचायत में नगर प्रबंधक की बहाली नहीं हुई है। इस राशि को सरकार को वापस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

### 12(ii) एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग का अनुदान ₹44982591/- का अव्यवहृत/अवरोधन करना

एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग के सहायक रोकड़ बही के अनुसार एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग के अनुदान की स्थिति निम्न थी-

|             | 2010'-11   | 2011-12    | 2012-13    |
|-------------|------------|------------|------------|
| प्रा० अवशेष | 4921515.00 | 4921515.00 | 4921515.00 |
| व्यय        | -          | -          | 423276'.00 |
| अवशेष       | 4921515.00 | 4921515.00 | 4498259.00 |

ऊपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2013 को अवशेष राशि ₹4498259.00 थी। एकादश वित्त वर्षो पूर्व बंद हो चुकी है तथा द्वादश वित्त आयोग वर्ष 2010-11 से बंद हो चुकी है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में इस मद से व्यय नहीं किया गया।

सरकार से प्राप्त द्वादश वित्त आयोग की राशि में से 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3% E.governance, 1% नगर प्रबंधक की क्षमता में वृद्धि तथा 46% नागरिक सुविधा पर व्यय करना था लेकिन व्यय वर्ष 2012-13 में नागरिक सुविधा पर किया गया था। अन्य मद पर व्यय नहीं किया गया था। राशि व्यय नहीं करने से नगर पंचायत क्षेत्र की जनता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सकी एवं अनुदान का उद्देश्य विफल रहा।

### 13. सामाजिक सुरक्षा पेंशन

कार्यालय के लेखा अभिलेखो यथा सामान्य रोकड़ बही कोषागार आवंटन एवं व्यय पंजी पासबुक इत्यादि के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में कार्यालय को कुल ₹3847200 का अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया गया था एवं इस रोकड़ बही के आवंटन व्यय की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ बही में नहीं किया गया था। इस मद में ₹3323000 का अग्रिम पंजी में था जिसका समायोजन लेखापरीक्षा अवधि तक नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट -5 पर संलग्न)

#### 14. स्वीकृत बल व कार्यरत बल

नगर पंचायत में स्वीकृत बल व कार्यरत बल की स्थिति निम्न प्रकार थी—

| क्र०सं० | पद का नाम               | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्त पदों की सं० |
|---------|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| 01      | प्रधान सहायक सह लेखापाल | 01         | 0          | 01                |
| 02.     | टैक्स दरोगा             | 01         | 1          | 0                 |
| 03      | सफाई जमादार             | 01         | 01         | 0                 |
| 04      | आदेश पाल                | 01         | 01         | 0                 |
| 05      | मेहतर / मेहतरानी        | 05         | 2          | 3                 |
|         | कुल                     | 9          | 5          | 4                 |

अतः उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत में स्वीकृत बल की अपेक्षा कार्यरत बल कम है। अतः कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव है कि इस संबंध में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाए जिससे नगर पंचायत का कार्यालय सुचारु रूप से चल सके।

#### 15. कम जमा / नहीं जमा (₹ 3779550)

गृहकर रसीदों दैनिक संग्रह पंजी व रोकड़ बहियों की जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों को एवं कर दरोगा द्वारा कुल ₹544555 वसूली के विरुद्ध मात्र ₹166600 नगर परिषद निधि में जमा किया गया था एवं राशि ₹377955 कम जमा था।

अंकेक्षण आपत्तियों के आलोक में अंकेक्षण के दौरान कुल ₹86555 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कराया गया, जिसका जमा बैंक पास बुक में देखा गया एवं राशि ₹291400 (377955- 86555) जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

अतः राशि ₹291400 की वसूली यथाशीघ्र जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत निधि में जमा कराकर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायं।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- 6 पर संलग्न)

#### 16. गृहकर में विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश के ज्ञापांक सं० 3533 दिनांक 27.08.09 धारा 127(3) के अनुसार समय पर गृहकर नहीं जमा करने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क वसूलने का निर्देश नगर निकायों को दिया गया था। लेकिन इस दिशा-निर्देश के विपरीत नगर पंचायत द्वारा विलंब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में कुछ गृह कर रसीदों की नमूना जाँच की गई, जिनमें राशि 144831 रु विलंब शुल्क के रूप में नहीं ली गई थी।

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

अतः राशि ₹144831 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर निधि में जमा कराया जाय एवं इसी तरह के अन्य मामलों की जाँच नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

### 17. शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपस्कर का अधिरोपण नहीं

नगर पंचायत द्वारा कर वसूली का मांग तथा कर निर्धारण पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित कर दारोगा से माँग एवं वसूली एवं बकाया कर विवरणी देने को कहा गया था। लेकिन उन के द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किया गया था। परंतु गृह कर के रोकड़ बही तथा पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक कुल ₹3142244.00 के गृह कर की वसूली की गई थी। विवरणी निम्न है-

|  |                         |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०<br>542/10-11             | वर्ष 2006-07 से 2009-10 | गृहकर की राशि<br>1656580.00 |
| 02   | 2010-11                 | 304624.00                   |
| 03.  | 2011-12                 | 327172.00                   |
| 04.  | 2012-13                 | 475955.00                   |
| वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक गृहकर की जमा नहीं की गयी राशि |                         | 377955.00                   |
|  |                         | 3142244.00                  |

नगर पंचायत द्वारा सिर्फ गृह कर की वसूली की जा रही थी जबकि लैट्रिन टैक्स तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपस्कर की वसूली नहीं की जा रही थी। जबकि बिहार सरकार द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षा नियम 1959 तथा बिहार स्वास्थ्य केयर निगम 1972 के अंतर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर की वसूली का दायित्व नगर निकाय को दिया गया था तथा वसूली की गई राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर शेष राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना था। पुनः 1982 (01.04.1982) से भी शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपस्कर की वसूली गृह कर का 50 प्रतिशत करना था। नगर पंचायत द्वारा उपकर की राशि की वसूली वर्षों से नहीं की जा रही थी। जिससे सरकार को राजस्व की हानि प्रतिवर्ष हो रही थी। वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक कुल गृह कर की राशि ₹3142244.00 की वसूली की गई थी।

इस अवधि में शिक्षा उपकर ₹1571122.00 (₹3142244.00 का 50%) तथा स्वास्थ्य उपकर ₹1571122.00 (₹3142244.00) की वसूली नहीं की गयी थी, जिससे कुल ₹3142244.00 के राजस्व की हानि हुई।

इसी प्रकार खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय की भी वसूली नहीं की जा रही थी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपस्कर का अधिरोपण यथाशीघ्र किया जाए।

### 18. बस पड़ाव की बन्दोबस्ती

सैरात पंजी व सैरातों की संचिकाएँ लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 के लिए की गई बन्दोबस्ती की नमूना जाँच की गई, जिनका विवरण निम्न है-

| वर्ष    | सुरक्षित जमा राशि | डाक की राशि | वसूल की गई राशि | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| 2010-11 | 488000            | 619100      | 619100          | -  |
| 2011-12 | 619100            | 620100      | 620100          | -  |
| 2012-13 | 527085            | 529000      | 529000          | बन्दोबस्ती 9 माह के लिए जुलाई 12 से मार्च तक तथा अप्रैल 12 से जून 12 तक विभागीय वसूली राशि- 155025 |

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 2 रा0 दिनांक 08.01.82 के अनुसार सैरातो की सुरक्षित जमा राशि तीन वर्षों पर निर्धारित की जायेगी जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि या बन्दोबस्ती राशि जो भी अधिक है उस में 15% की वृद्धि की जायेगी। इन निर्देशों को पुनः पत्रांक 14/शै-07-0-11/97-612- रा दिनांक 18.09.97 द्वारा जारी किया गया।

परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इन दिशा निर्देशों का ध्यान नहीं रखा गया। वर्ष 2008-09 में इन निर्देशों के आधार पर बस स्टैंड की सुरक्षित जमा राशि ₹405751 निर्धारित की गई थी। परंतु 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत वर्ष 2011-12 में पुनः 3 वर्षों के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया विवरण निम्न है-

| वर्ष    | सुरक्षित जमा राशि | डाक की राशि |
|---------|-------------------|-------------|
| 2008-09 | 405751            | 280100      |
| 2009-10 | 280100            | 488000      |
| 2010-11 | 488000            | 619100      |

पिछले 3 वर्षों के औसत में 15 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत सुरक्षित जमा राशि

$$= 280100 + 488000 + 619100 / 3 \times 115\% = ₹ 531760$$

$$\text{पिछले वर्ष (2010-11) में हुई डाक की राशि में 15\% वृद्धि के उपरांत सुरक्षित जमा राशि} - 619100 \times 115\% = ₹ 711965$$

अतः बन्दोबस्ती नियम के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए बस पड़ाव की सुरक्षित जमा राशि ₹531760 व ₹711965 में से अधिकतम राशि ₹711965 सुरक्षित जमा राशि के रूप में नियत किया जाना चाहिए था, परंतु नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 में हुई डाक की राशि ₹619100 को ही वर्ष 2011-12 के लिए सुरक्षित जमा राशि निर्धारित किया गया एवं इस वर्ष ₹620100 में डाक हुई।



इस प्रकार वर्ष 2011-12 के बंदोबस्ती में नगर पंचायत के द्वारा सरकार के दिशा निर्देश के उल्लंघन के कारण न्यूनतम ₹91865 (711965- 620100) के राजस्व का नुकसान हुआ ।

पुनः सुरक्षित जमा राशि ₹711965 तीन वर्षों 2011-12 , 2012-13 व 2013-14 के लिए होता। वर्ष 2012-13 में प्रारंभ के तीन महीना अप्रैल मई व जून में विभागीय वसूली राशि ₹155025 का किया गया एवं अगले 9 महीनों के लिए कार्यालय के ज्ञापांक 14 दिनांक 23.06.12 द्वारा निविदा निकाला गया और इस सैरात की बन्दोबस्ती 9 महीनों के लिए राशि ₹529000 से सर्वोच्च डाक वक्ता मो मसकुर आलम पिता तसलीम अहमद के साथ किया गया ।

परंतु इस सैरात की बंदोबस्ती 9 महीनो के लिए न्यूनतम राशि ₹533974 (711965 / 12×9) में न कर राशि ₹529000 में किया गया , जिससे नगर पंचायत को ₹4974 (533974- 529000) के राजस्व की क्षति हुई पुनः प्रारंभ के तीन महीनो में विभागीय वसूली श्री अनवर आलम आदेशपाल द्वारा कार्यालय के पत्रांक- 56 दिनांक 28.02.13 द्वारा ₹155025 किया गया जो न्यूनतम वसूली ₹177992 (711965 / 12×3) से ₹22967 कम था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अप्रैल 12 से जून 12 तक विभागीय वसूली की राशि सुरक्षित जमा राशि से घटाकर रखी गयी है। जवाब मान्य नहीं है।

अतः ₹119806 (91865+ 4974+ 22967) की हानि की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

### 19. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सहायक रोकड़ बही तथा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.- 542 / 19-11 के अनुसार एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों में निम्न राशि दिनांक 11.04.10 को अवशेष था।

| क्र०सं० | घटक का नाम                  | राशि      |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 01      | wage component              | 1419.00   |
| 02      | Grant                       | 186.00    |
| 03      | administrative expenditure  | 42087.00  |
| 04.     | Strengthening of Local body | 44223.00  |
| 05.     | USEP                        | 2592.00   |
| 06      | UWEP                        | 73442.00  |
| 07      | community structure         | 62165.00  |
|         | कुल                         | 226094.00 |

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा ₹30.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था तथा उस निम्न घटक में राशि दिये गये प्रतिशत मार्गदर्शिका के अनुसार कर्णांकित करना था।

| क्र०सं० | मद का नाम  | प्रतिशत | राशि       |
|---------|--|---------|------------|
| 01      | शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)% | 40%     | 1200000.00 |
| 02.     | शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)                                  | 20%     | 600000.00  |
| 03.     | शहरी महिलाओं एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)                         | 20%     | 600000.00  |
| 04.     | शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)                                 | 10%     | 300000.00  |
| 05      | शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम                                      | 10%     | 300000.00  |
|         |  | कुल     | 3000000.00 |

नोटसीट के अनुसार सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिलाने का आवेदन पत्र दिया गया है। लेकिन पत्र संचिका में नहीं था।

आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनेक जगह प्रशिक्षण देनेवाली संस्था दारोगा प्र० राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केंद्र, पटना को अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण के लिये चयनित किया जाता है जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.10.12 को दिया गया था। संस्था को 160 लाभुकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा 160 लाभुको को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देने का कार्यदेश नगर पंचायत के ज्ञापांक- 287 दिनांक 08.11.2012 द्वारा दिया गया था। संस्था द्वारा एकरारनामा दिनांक 05.10.12 को किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा एसजेएसआरवाई के STEPUP के दिशा-निर्देश के अनुसार निम्न शर्तें मुख्य थी।

**पारा- 6.2** 30 प्रतिशत महिला लाभार्थी एस/एसटी के लिए अपनी सं० के अनुपात 3 प्रतिशत विभिन्न योग्यता रखने वाले तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रशिक्षण में लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

**पारा 6.3** - निर्माण क्षेत्र में जैसे बढईगीरी, वैद्युत तथा स्थानीय सामग्री का प्रयोग करते हुए बेहतर व प्रभावी प्रौद्योगिक आधारित कम लागत वाली सामग्री तैयार करने जैसे सेवा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण घटकों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

**पारा 6.5-** प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10000/ प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नहीं होगी। जिसमें मैटिरियल लागत प्रशिक्षण टूलकिट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किये जाने वाले अन्य विविध खर्च तथा प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है।

पारा 11.11 के (5) कार्यान्वयन एजेंसी को सामान्यतः 40:40:20 के अनुपात में तीन किशतों में धनराशि जारी की जानी चाहिए।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक- 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण के लिए ₹6000 से ₹7000 की राशि निर्धारित की गई थी।

नगर पंचायत के पत्रांक- 313 दिनांक 11.12.12 को संबंधित संस्था को ₹6500.00 प्रति (320 प्रशिक्षणार्थी) जिसमें टूल किट्स की राशि नहीं जोड़ी गई थी, का आदेश दिया गया था।